भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 907

उत्तर देने की तारीख : 08.12.2025

एमएसएमई के लिए क्रेडिट रेटिंग रूपरेखा

907. श्री रविचंद्र वद्दीराजू :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का मूल्यांकन बहु-अरब डॉलर वाली कंपनियों के समान क्रेडिट रेटिंग मापदंडों पर किया जाता है, जिसके कारण अवास्तविक मानदंड-निर्धारण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एमएसएमई के लिए अलग, आकार-उचित क्रेडिट रेटिंग रूपरेखा विकसित करने का विचार रखती है; और

(ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को उनके वास्तविक आकार और वित्तीय क्षमता के आधार पर बैंकों और निवेशकों से उचित मान्यता सुनिश्चित कराने हेतु क्या उपाए किए जा रहें हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, ऋण संबंधी मामलों का निपटान संगत विनियामक और वैधानिक अपेक्षाओं के दायरे के तहत संबंधित ऋणदाता संस्थान बोर्डों द्वारा गठित और अनुमोदित नीतियों के माध्यम से किया जाता है। आरबीआई ने दिनांक 12 अक्टूबर, 2002 को क्रेडिट जोखिम प्रबंधन पर एक मार्गदर्शी नोट जारी किया है जो अन्य उपायों के अलावा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को क्रेडिट जोखिम रेटिंग ढांचा विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करता है जिसका उद्देश्य ऋण से जुड़े किसी विशेष जोखिमों की ओर संकेत करना होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमएसएमई को बैंकों और निवेशकों से उचित पहचान प्राप्त हो, सरकार ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देश, एमएसई को कोलेटरल मुक्त ऋण, व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेडस) का कार्यान्वयन, मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए तक के ऋण की आवश्यकता वाली परियोजनाओं के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, बैंकों द्वारा ऋण निर्णयों के लिए समयसीमा में कमी,संयुक्त ऋण इंटरफेस (यूएलआई) आदि जैसे कई अन्य उपाय किए हैं।
